(14)

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R 3242-III/14

श्री .... द्वारा आज दि. 24.09.14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 24-9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रामेश्वर पुत्र श्री दरयाब किरार

निवासी– ग्राम झलवासा, तहसील पोहरी

जिला शिवपुरी म.प्र. ....आवेदक

बनाम्

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला

शिवपुरी म.प्र. ....अनावेदक

24.09.14 (L.S. Dhakad)

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 58/12–13 स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27.12.13 के विरुद्ध जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रेषित है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

यहकि, विवादित् भूमि सर्वे क्रमांक सर्वे क्रमांक 106/1 रकवा 0.36 हैक्टेयर विवादित भूमि ग्राम नरवरी, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी में स्थित है। जिसे आवेदक ने विधिवत जर्ये रजिस्र्टड विकय पत्र क. 208 से दिनांक 23.05.02 को कय की थी आवेदक विकय पत्र दिनांक से काविज होकर खेती करता चला आ रहा है आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमि स्वामी है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि कों इतने लम्बे समय के बाद स्वंमेव निगरानी की कार्यवाही प्रचलित की गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में जॉच जिला स्तर पर गठित जॉच समिति द्वारा कराये जाने का उल्लेख किया गया है। यदि वास्तव में ऐसी कोई जॉच कराई जाती है तो कानूनन उसे विधिवत सुनवाई का मौका देना चाहिऐ,। यदि विधिवत सुनवाई/प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया है तो ऐसी जॉच का औचित्य नहीं रह जाता है । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सिद्वातों के विरूद्व जाकर आवेदक को बगैर सुने एकपक्षीय आलोच्य आदेश दिनांक 27.12.13 को पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओ से विदित होता है कि आदेश पत्रिका दिनांक 27.02.13के बाद पेशी .. 03.13 नियत है इसके पश्चात प्रकरण सीधा दिनांक 17.09.13 को लिया गया है

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3242–तीन/2014 जिला–शिवपुरी

रामेश्वर विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
03–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 58/2012–13/स्व–निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 23–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	